

कार्यकारी सारांश

16-17 जून 2013 को उत्तराखण्ड मूसलाधार वर्षा के रूप में विध्वंसक प्राकृतिक आपदा का साक्षी बना। इसके कारण व्यापक विनाश और भौतिक अवसंरचना, कृषि भूमि, मानव एवं पशु जीवन और सड़कों की भी भारी हानियाँ हुई थी। अंततः सरकार 18 जून 2013 को राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ कर पाई थी। फंसे हुए कुल 1.14 लाख तीर्थयात्रियों/स्थानीय लोगों¹ को वायुमार्ग द्वारा निकाला गया था और शेष 0.36 लाख लोगों को खच्चरों द्वारा अथवा पैदल मार्ग से बाहर निकाला गया। पाँच जनपदों नामतः बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी बुरी तरह से प्रभावित थे।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा, जून 2013 (प्रतिक्रिया, राहत एवं तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना) की निष्पादन लेखापरीक्षा, माह सितम्बर 2014 से फरवरी 2015 तक संपादित की गई जिसमें सरकार द्वारा संचालित बचाव एवं राहत अभियानों, राहत प्रदान करने, क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन किया गया। विशिष्ट निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

(i) जून 2013 की आपदा को बढ़ाने वाले कारक

हिमनदियों पर गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया था; विषम हिमालयी भू-भागक्षेत्र में अवसंरचना विकास कार्यों के लिए विस्फोटकों के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु कोई नीति नहीं थी। राज्य द्वारा निर्माण गतिविधियों के दौरान किए जाने वाले खुदाई कार्य से उत्पन्न मलबे के सुरक्षित निस्तारण के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था। नदी किनारे के निर्माण कार्यों पर नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जा रहा था और नगर नियोजन एवं भवन उपविधियों को लागू नहीं किया जा रहा था।

(ii) पूर्व तैयारियाँ

राज्य सरकार ने आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों के एकीकरण के उद्देश्य और राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत मानकों को प्रदान किए जाने हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन नीति एवं दिशा-निर्देशों को नहीं बनाया। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लगभग अक्रियाशील था और जून 2013 की आपदा से पूर्व राज्य आपदा प्रबन्धन योजना को लागू करने में सक्षम नहीं था। राज्य, नियमित राज्य बजट में न्यूनीकरण उपायों एवं विकास प्रक्रिया में आपदा प्रबन्धन को मुख्य धारा में जोड़ने में सक्षम नहीं रहा था। राज्य एवं जनपद, दोनों स्तरों पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र अपर्याप्त मानव शक्ति, उपकरण एवं आवश्यक संचार नेटवर्क के बिना ही चल रहे थे। आपदा के पश्चात खोज, बचाव एवं राहत अभियानों को ध्यान में रखने के

¹ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

लिए जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण किसी पूर्व परिकल्पित नियंत्रण प्रणाली को सक्रिय नहीं कर सका। रेखीय विभागों द्वारा प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र हेतु न्यूनीकरण योजनाओं एवं मा प्र का को विकसित नहीं किया गया था। आपदा के दौरान सुरक्षित राहत शिविर स्थलों के अचिन्हीकरण के कारण प्रभावित लोगों के जीवन को खतरे में डाला गया। राज्य सरकार के पास चार-धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का कोई तंत्र नहीं था। जिला प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशन एवं दवाइयों के भण्डारण का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(iii) वित्तीय व्यवस्थायें

निधियों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारत सरकार ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि में राहत और पुनर्स्थापन गतिविधियों हेतु ₹ 7,981.04 करोड़ का पैकेज प्रदान किया। मार्च 2014 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों का कुल ₹ 733.53 करोड़ बचाव एवं राहत अभियानों तथा आवश्यक सेवाओं के पुनर्स्थापन पर व्यय किया जा चुका था। राज्य, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों का समायोजन नहीं कर पाया था। सरकार से मिले स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी ज आ प्र प्रा द्वारा पृथक से लेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

(iv) आपदा, बचाव एवं राहत में सरकार की प्रतिक्रिया

15-17 जून 2013 के दौरान खराब मौसम और पूर्व तैयारी के अभाव में मानव जीवन की व्यापक हानि के प्रभाव को कम करने में राज्य तंत्र के साथ-साथ जिला प्रशासन भी प्रभावी रूप से स्वयं को प्रतिक्रियागत नहीं कर सका था। बचाव अभियानों को केवल 18 जून 2013 को प्रारम्भ किया गया था जिसमें विलम्ब हुआ था क्योंकि बचाव अभियानों को चलाने हेतु विभाग की अपनी कुछ मजबूरियाँ और सीमाएँ थी। वायुमार्ग से निकासी के सुचारू संचालन हेतु हैलीपैड उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न रेखीय विभागों के आपसी समन्वय की कमी भी संज्ञान में आई थी। आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण जैसे आपातकालीन लाइट्स, इन्फ्लैटेबल लाइट्स, सोलर लाइट्स, गैस कटर, वूड कटर इत्यादि प्रभावित जिलों के जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थे। प्रक्षिप्त मानवशक्ति के उपलब्ध 7,849 लोगों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सका था। उचित संचार नेटवर्क की अनुपलब्धता द्वारा भी अभियान में बाधा पहुँची थी।

सहायता के वितरण में विलम्ब के 33,488 प्रकरणों में से 30,928 (92 प्रतिशत) प्रकरण संज्ञान में आए थे। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अभिलेखीकरण में कमियाँ पायी गई थी। रा आ मो नि से ₹ 59.33 लाख के अधिक भुगतान के 1,122 प्रकरण भी प्रकाश में आए थे। राहत के वितरण एवं हानियों के प्रमाणीकरण में एकरूपता की कमी थी।

(v) आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना

सरकार प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं (बिजली, पानी और सड़क संयोजन) को पुनर्स्थापन कर पाने में सक्षम नहीं थी। अवसंरचना की क्षति का समुचित आंकलन नहीं किया गया था। जिला स्तरीय जाँच समितियों और जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों द्वारा कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब किया गया था और पुनर्स्थापना के कार्यों की प्रगति भी बहुत धीमी थी। फरवरी 2015 तक स्वीकृत राशि ₹ 127.04 करोड़ के सापेक्ष ₹ 90.07 करोड़ के व्यय से 1,746 कार्यों को पूर्ण किया गया था। अधिकांश

कार्यों को दो से 12 माह विलम्ब से पूर्ण किया गया था। ₹ 24.11 करोड़ की अनुमानित लागत के 159 कार्यों की स्वीकृती एवं सम्पादन में राज्य आपदा मोचन निधि के मानदण्डों का उल्लंघन किया गया था।

(vi) आंतरिक नियंत्रण का ढाँचा

खतरों को भाँपते हुए आपदा प्रबंधन रणनीति विकसित करने और ऐसे खतरों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु योजना बनाने में रा आ प्र प्रा सक्षम नहीं था तथा वास्तव में अक्रियाशील था। मानक प्रचालन कार्यविधियाँ अस्तित्व में नहीं थीं। सरकार ने संहिताओं और मानकों की समीक्षा नहीं की थी। प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रासांगिक अभिलेखों से प्रतिसत्यापित नहीं की गयी थी। चार-धाम तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का कोई तंत्र सरकार ने नहीं बनाया था। पृथक से शिकायत निवारण तंत्र के अभाव से वित्तीय राहत सम्बन्धी अधिकतर शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा सका था। मासिक रिपोर्टों को प्राप्त करने हेतु विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया था। किसी भी रिपोर्ट के अभाव में कार्यों की प्रगति का कोई अनुश्रवण नहीं था।